



The M.P. Vidhan Sabha Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980

Act No. 8 of 1980

Amendment appended: 6 of 2025

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

मध्यप्रदेश विधान सभा

**मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता)
अधिनियम, 1980**

(क्रमांक 8 सन् 1980)

तथा

उसके अधीन निर्मित नियम

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 8 सन् 1980

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980

(16 सन् 2016 तक यथा संशोधित)

विषय सूची

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. नेता प्रतिपक्ष का वेतन
4. नेता प्रतिपक्ष को सत्कार भत्ता
5. नेता प्रतिपक्ष के लिए निवास स्थान
6. नेता प्रतिपक्ष के लिए वाहन
7. नेता प्रतिपक्ष के लिए चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार आदि
8. किसी वृत्ति, व्यापार आदि के करने का प्रतिषेध
9. नेता प्रतिपक्ष के लिए यात्रा तथा दैनिक भत्ता
10. टेलीफोन सुविधाएं
11. सचिवालयीन सुविधाओं की व्यवस्था
12. भत्तों तथा परिलब्धियों में से आय कर नहीं लिया जायेगा
13. किसी व्यक्ति के नेता प्रतिपक्ष होने की तारीख या नेता प्रतिपक्ष न रहने की तारीख से संबंधित अधिसूचना उस संबंध में निश्चायक साक्ष्य होगी.
14. नियम बनाने की शक्ति
15. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 16 सन् 1967 का संशोधन
16. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 7 सन् 1973 का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 8 सन् 1980

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1980

दिनांक 18 अगस्त 1980 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति
"मध्यप्रदेश राजपत्र"

(असाधारण) में दिनांक 19 अगस्त 1980 को प्रथम बार प्रकाशित की गई. मध्यप्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष के वेतन तथा भत्तों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :- 1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1980 है.

(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगा.

2. इस अधिनियम में ;

(क) "नेता प्रतिपक्ष" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा का वह सदस्य, जो राज्य विधान सभा में, राज्य सरकार के विपक्ष में के उस दल का, जिसकी सदस्य संख्या सबसे अधिक है तत् समय नेता है और जिसे विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान की गई है,

स्पष्टीकरण -- जहां विधान सभा में राज्य सरकार के विपक्ष में दो या दो से अधिक ऐसे दल हैं जिनकी सदस्य संख्या समान है, वहां विधान सभा का अध्यक्ष दलों की प्रास्थिति का ध्यान रखते हुए ऐसे दलों को नेताओं में से किसी एक दल के नेता को इस धारा के प्रयोजनों के लिये नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और ऐसी मान्यता अंतिम तथा निश्चायक होगी.

(ख) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लायी गई है किंतु परिभाषित नहीं की गई है और जो मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) में परिभाषित की गई है, वहीं अर्थ होगा जो कि उनके लिये उस अधिनियम में क्रमशः दिया गया है.

3. नेता प्रतिपक्ष को पैंतालीस हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा.

4. 1. नेता प्रतिपक्ष को पैंतालीस हजार रुपये सत्कार भत्ता (समच्युरी अलाउन्स) दिया जायेगा.

2. नेता प्रतिपक्ष को पैंतीस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.

3. नेता प्रतिपक्ष को जब तक कि वह ऐसा नेता बना रहता है एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

5. (1) नेता प्रतिपक्ष, जब तक कि वह ऐसे नेता के रूप में बना रहता है और उसके अव्यवहित पश्चात् एक मास की कालावधि तक भोपाल में एक सुसज्जित निवास स्थान का उपभोग किराये का भुगतान किये बिना करने का हकदार होगा और ऐसे निवास स्थान के अनुरक्षण की बाबत उसके द्वारा व्यक्तिक रूप से कोई प्रभार देय नहीं होगा.

(2) यदि नेता प्रतिपक्ष उपधारा (1) में दी गई प्रसुविधा का लाभ नहीं उठाता है, तो वह उसके बदले में उतना गृह किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि धारा तीन के अधीन उसे देय वेतन के बीस प्रतिशत के बराबर हो.

(3) भोपाल स्थित निशुल्क सुसज्जित निवास स्थान जिसके के लिये उपधारा (1) के अधीन उपबंध किया गया है, के अतिरिक्त नेता प्रतिपक्ष किसी ऐसे अन्य स्थान, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये नेता प्रतिपक्ष का शासकीय निवास स्थान घोषित करे, में स्थित सुसज्जित निवास स्थान का किराये का भुगतान किये बिना उस समय तक के लिये उपयोग करने का भी हकदार होगा, जब तक कि ऐसी घोषणा प्रवृत्त रहती है.

(4) उस निवास स्थान को जिसकी की व्यवस्था नेता प्रतिपक्ष के लिये उपधारा (1) के अधीन की गई है, सुसज्जित करने के बारे में किया जाने वाला व्यय पैंतीस हजार रुपये की आर्थिक सीमा के अध्यधीन होगा.

(5) निवास स्थान एवं उद्यान, जिनके कि लिये उपधारा (1) के अधीन उपबंध किया गया है के समारक्षण उनकी वार्षिक मरम्मतों तथा उनके अनुरक्षण के बारे में किया जाने वाला वार्षिक व्यय ऐसी आर्थिक सीमाओं के अध्यधीन होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों में प्रधिकथित की जाये.

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनों के लिये निवास स्थान के अंतर्गत आते हैं उससे अनुलग्न कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य भवन, एवं उसका उद्यान और किसी निवास स्थान के संबंध में "अनुरक्षण" के अंतर्गत आता है स्थानीय रेंटों तथा करों का भुगतान और विद्युत एवं जल की व्यवस्था.

6. (1) नेता प्रतिपक्ष को, उसके उपयोग के लिये एक उपयुक्त मोटरयान दिया जायेगा जिसका क्रय तथा अनुरक्षण उन नियमों के अनुसार जो कि राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में बनाये जाये, सरकारी व्यय से किया जायेगा.	नेता प्रतिपक्ष के लिए वाहन
---	----------------------------

(2) राज्य सरकार ऐसे मोटरयान के लिये सरकारी व्यय से दो मोटरचालक (शोफर) की भी व्यवस्था करेगी और ऐसे मोटरयान के लिये, ऐसे मोटरयान द्वारा की गई यात्राओं (जो उस यात्राओं से भिन्न हो जिनके लिये यात्रा भत्ता अनुज्ञेय है) के लिये उपयुक्त मोटर ईंधन का प्रदाय करेगी, जो प्रतिमास अधिक से अधिक तीन सौ पचास लीटर होगा.

"7 नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष के कुटुंब के सदस्य, चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार ऐसे पैमाने तथा ऐसी शर्तों पर निशुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा उनके कुटुंबों के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का सं. 61) के अधीन समय-समय पर बनाये गये चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार संबंधी नियमों के अधीन लागू होती हैं"	नेता प्रतिपक्ष के लिए चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार
--	--

"स्पष्टीकरण :- इस धारा में चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार" से अभिप्रेत है भरती होने पर अन्तर्वासी रोगी के रूप में चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार.

8. नेता प्रतिपक्ष, अपने पद, जिसके कि लिये वह इस अधिनियम के अधीन वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता है, की अवधि के दौरान --	किसी वृत्ति पार आदि के करने का प्रतिषेध.
---	--

(क) कोई वृत्ति नहीं करेगा या व्यापार में नहीं लगेगा या कोई अन्य नियोजन पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये ग्रहण नहीं करेगा.

(ख) सदस्य के रूप में मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन कोई वेतन तथा भत्ते प्राप्त नहीं करेगा और न ही उक्त अधिनियम के अधीन कोई अन्य सुविधायें प्राप्त करने का हकदार होगा.

9. (1) नेता प्रतिपक्ष राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार --	नेता प्रतिपक्ष के लिय यात्रा तथा दैनिक भत्ता
---	--

(क) (एक) पद ग्रहण करने के लिये भोपाल के बाहर के अपने सामान्य निवास स्थान से भोपाल तक की गई यात्रा के संबंध में, और

(दो) पद मुक्त होने पर भोपाल से भोपाल के बाहर के अपने सामान्य निवास स्थान तक की गई यात्रा के संबंध में अपने स्वयं के लिये तथा अपने कुटुंब के सदस्यों के लिये जो कि उस पर आश्रित हैं और अपनी तथा अपने कुटुंब की चीज वस्तु के परिवहन के लिये यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, और

(ख) उन दौरों के संबंध में, जो कि उसने --

(एक) नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किये हो, और

(दो) किसी समिति के सदस्य की हैसियत से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उस समिति के सम्मिलन में हाजिर होने के लिये किये हो, यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा.

(2) इस धारा के अधीन किसी भी यात्रा भत्ते का नगद भुगतान किया जा सकेगा या उसके बदले में निशुल्क शासकीय परिवहन की व्यवस्था की जा सकेगी.

(3) नेता प्रतिपक्ष उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किये गये दौरों के लिये देय यात्रा तथा दैनिक भत्ते प्राप्त करने के अतिरिक्त इस बात का हकदार होगा कि जब वह ऐसे दौरों के दौरान विश्राम भवनों (सर्किट हाउसेज) तथा विश्राम गृहों (रेस्ट हाउसेज) में, जिनका अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ठहरे तो उसे उन विश्राम भवनों तथा विश्राम गृहों में बास सुविधा तथा विद्युत की व्यवस्था उसके ठहरने की कालावधि के लिये निशुल्क उपलब्ध रहे.

10. (1) नेता प्रतिपक्ष अपनी पदावधि के दौरान इस बात का हकदार होगा कि धारा पांच के अधीन उसके निवास स्थान पर टेलीफोन शासकीय खर्च से लगाया जाये.	टेलीफोन सुविधाएं
--	------------------

(2) उपधारा एक के अधीन लगाये गये टेलीफोन के लगाये जाने बाबत् उसके लिये प्रारंभिक निक्षेप बाबत् उसके अनुरक्षण के लिये किराये के प्रभारों की बाबत् तथा किसी भी अन्य प्रभार की बाबत् कोई भी प्रभार नेता प्रतिपक्ष द्वारा वैयक्तिक रूप से देय नहीं होगा.

11. "नेता प्रतिपक्ष अपनी निजी स्थापना में कर्मचारीवृन्द के लिये उसी सीमा तक हकदार होगा जिस सीमा तक कोई मंत्री, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन हकदार होता है."	नेता प्रतिपक्ष की निजी स्थापना
--	--------------------------------

"12. इस अधिनियम के अधीन नेता प्रतिपक्ष को देय समस्त भत्तों की बाबत् और किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित निवास स्थान की उस सुविधा की बाबत् एवं उन अन्य परिलब्धियों की बाबत् जो नेता प्रतिपक्ष को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय हैं, नेता प्रतिपक्ष से आयकर नहीं लिया जायेगा और यह आयकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा देय अधिकतम दर पर राज्य सरकार द्वारा देय होगा. नेता प्रतिपक्ष को देय उक्त भत्तों तथा परिलब्धियों से प्रोदभूत आय की कुल रकम में से समय-समय पर अनुज्ञेय आय-कर से छूट की सीमा की रकम और मानक कटौतियों की रकम, जो भी हो, घटाई नहीं जायेगी."	भत्तों तथा परिलब्धियों में से आयकर नहीं लिया जायेगा.
---	--

13. वह तारीख, जिसको कोई व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष हो जाता है या नेता प्रतिपक्ष नहीं रह जाता है की राजपत्र में अधिसूचित की जायेगी और कोई भी ऐसी अधिसूचना, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस तारीख को नेता प्रतिपक्ष बना था अथवा नेता प्रतिपक्ष नहीं रह गया था.	किसी व्यक्ति के नेता प्रतिपक्ष होने की तारीख या नेता प्रतिपक्ष न रहने की तारीख से संबंधित अधिसूचना उस संबंध में निश्चायक साक्ष्य होगी.
--	--

14.(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.	नियम बनाने की शक्ति
--	---------------------

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन निवास स्थान तथा उद्यान के समारक्षण, वार्षिक मरम्मत तथा अनुरक्षण के बारे में उपगत किये जाने वाले वार्षिक व्यय की आर्थिक सीमा.

(ख) नेता प्रतिपक्ष को धारा 6 के अधीन दिये जाने वाले मोटरयान का क्रय तथा अनुरक्षण.

(ग) धारा 9 के अधीन नेता प्रतिपक्ष को अनुज्ञेय यात्रा तथा दैनिक भत्ता.

(घ) धारा 9 के प्रयोजनों के लिए नेता प्रतिपक्ष के कर्तव्य.

(ङ) कोई भी अन्य विषय जो कि विहित किया जाना हो या विहित किया जाय.

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त की गई नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी आती किंतु ऐसा भूतलक्षी प्रभाव इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व की तारीख से नहीं दिया जायेगा और यह भी कि कोई भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जायगा कि जिससे नेताप्रतिपक्ष के विद्यमान हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो.

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

15. मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्रमांक 16 सन् 1967) में अनुसूची में मद 16 तथा स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित मद तथा स्पष्टीकरण स्थापित किये जाये. अर्थात् :-	मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 16 सन् 1967 का संशोधन.
--	--

"16. मध्यप्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष का पद.

स्पष्टीकरण - मद 16 के प्रयोजन के लिये नेता प्रतिपक्ष का वही अर्थ होगा जो कि उसे मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 में दिया गया है.

16. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) में --	मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 7 सन् 1973 का संशोधन
---	---

(एक) धारा 2 खंड (ख) में, --

(क) उपखण्ड (चार) में, अन्त में के शब्द "और" का लोप किया जाय;

(ख) उपखण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात्:-

"(चार-क) मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 में यथा परिभाषित नेता प्रतिपक्ष, और"

(दो) धारा 6-क की उपधारा (4) में खण्ड (तीन) में शब्द "या दोनों के रूप में के पश्चात् शब्द या मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1980 में यथा परिभाषित नेता प्रतिपक्ष के रूप में" अन्तः स्थापित किये जाये:

(तीन) धारा 8 का लोप किया जाय.

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम "क्रमांक 8 सन् 1980" में समय समय पर किये गये संशोधनों का सार

- (1) मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में शब्द विधान मण्डल के स्थान पर शब्द विधान सभा स्थापित किये जाए.

मध्यप्रदेश विधान सभा विरोधी दल का नेता (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट हैं) में या मूल अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियमों में जहां कहीं भी शब्द "विरोधी दल का नेता" आए हो, वहां उनके स्थान पर शब्द "नेता प्रतिपक्ष" स्थापित किये जायें, और मूल अधिनियम का नाम तदनुसार संशोधित किया जाये.

धारा "3" का संशोधन

- (1) वर्ष 1981 में क्रमांक 21 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा तीन में, शब्द "एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "एक हजार सात सौ पचास रुपये प्रतिमास" स्थापित किये जाये.

- (2) वर्ष 1987 में क्रमांक 11 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980)

(क) धारा 3 में शब्द "एक हजार सात सौ पचास रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये प्रतिमास" स्थापित किये जाये.

- (3) वर्ष 1988 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) में

(क) धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात:-

नेता प्रतिपक्ष को एक हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा";

- (4) वर्ष 1997 में क्रमांक 24 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा तीन में शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ" स्थापित किये जाएं.

- (5) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) (जो इसमें पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "चार हजार" स्थापित किये जाएं.

- (6) वर्ष 2008 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में, शब्द चार हजार के स्थान पर, शब्द नौ हजार स्थापित किए जाएं.

(7) वर्ष 2010 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) (जो इसमें पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में, शब्द नौ हजार के स्थान पर, शब्द दस हजार स्थापित किए जाएं.

(8) वर्ष 2010 में क्रमांक 22 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा में, शब्द दस हजार के स्थान पर, शब्द सत्ताईस हजार स्थापित किए जाएं.

(9) वर्ष 2016 में क्रमांक 16 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा तीन में शब्द "सत्ताईस हजार" के स्थान पर शब्द "पैंतालीस हजार" स्थापित किये जाएं.

धारा 4 का संशोधन

(1) वर्ष 1987 में क्रमांक 11 द्वारा संशोधन

(ख) धारा चार में, शब्द "दो सौ पचास रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" प्रतिमास स्थापित किये जाए.

(2) वर्ष 1988 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन

(ख) धारा चार के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात:-

(1) नेता प्रतिपक्ष को एक हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जायेगा.

(2) नेता प्रतिपक्ष को एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.

(3) नेता प्रतिपक्ष को, जब तक की वह ऐसा नेता बना रहता है, पचहत्तर रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

(3) वर्ष 1993 में क्रमांक 9 द्वारा संशोधन

3. For Section 4 of the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980, the following section shall be substituted, namely :-

"4 (1) There shall be paid to the Neta Pratipaksha a sumptuary allowance of one thousand five hundred rupees per mensem.

(2) There shall be paid to the Neta Pratipaksha a constituency allowance of three thousand rupees per mensem.

(3) There shall be paid to the Neta Pratipaksha a daily allowance of one hundred fifty rupees per day."

(4) वर्ष 1997 में क्रमांक 24 द्वारा संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 4 में -

(एक) उपधारा एक में शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "दो हजार पांच सौ" स्थापित किये जाये; और

(दो) उपधारा (3) में शब्द "एक सौ पचास" के स्थान पर शब्द "दो सौ" स्थापित किये जाये.

(5) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन

(एक) उपधारा (1) में शब्द "दो हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" स्थापित किये जाये.

(दो) उपधारा (2) में शब्द "तीन हजार" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" स्थापित किये जाये. और

(तीन) उपधारा (3) में शब्द "दो सौ" के स्थान पर शब्द "पांच सौ" स्थापित किये जाये

(6) वर्ष 2008 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन

(एक) उपधारा (1) में, शब्द 'आठ हजार' के स्थान पर, शब्द 'नौ हजार' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (2) में, शब्द 'आठ हजार' के स्थान पर, शब्द 'बारह हजार' स्थापित किए जाएं;

(7) वर्ष 2010 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन

(एक) उपधारा (1) में शब्द "नौ हजार" के स्थान पर शब्द "तेरह हजार" स्थापित किये जाये.

(दो) उपधारा (2) में शब्द "बारह हजार" के स्थान पर शब्द "अठारह हजार" स्थापित किये जाये, और

(तीन) उपधारा (3) में शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "आठ सौ" स्थापित किये जाये

(8) वर्ष 2010 में क्रमांक 22 द्वारा संशोधन

(एक) उपधारा (1) में, शब्द 'तेरह हजार' के स्थान पर, शब्द 'अठारह हजार' स्थापित किए जाएं ;

(दो) उपधारा (2) में, शब्द 'अठारह हजार' के स्थान पर, शब्द 'सत्रह हजार' स्थापित किए जाएं ;

(9) वर्ष 2012 में क्रमांक 24 द्वारा संशोधन

"4. (1) नेता प्रतिपक्ष को तीस हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जायेगा.

(2) नेता प्रतिपक्ष को सत्ताईस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया

(3) नेता प्रतिपक्ष को एक हजार दो सौ रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

(10) वर्ष 2016 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन

(1) उपधारा (1) में, शब्द तीस हजार रुपये के स्थान पर पैंतालीस हजार स्थापित किया जाए;

(2) उपधारा (2) में, शब्द सत्ताईस हजार रुपये के स्थान पर पैंतीस हजार स्थापित किया जाए;

(3) उपधारा (3) में, शब्द एक हजार दो सौ रुपये के स्थान पर एक हजार पांच सौ स्थापित किया जाए;

धारा 6 का संशोधन

(1) वर्ष 1981 में क्रमांक 21 द्वारा संशोधन

4. मूल अधिनियम की धार 6 की उपधारा (2) में शब्द "एक मोटरचालक (शोफर)" के स्थान पर शब्द "दो मोटरचालक (शोफर)" स्थापित किये जाये.

धारा 7 का संशोधन

(1) वर्ष 1983 में क्रमांक 24 द्वारा संशोधन

4. मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) की धारा 7 को उसकी उपधारा (2) के स्थान पर पुर्नक्रमांकित किया जाये और, --

(क) इस प्रकार पुर्नक्रमांकित उपधारा (2) के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित की जाये, अर्थात :-

"(1) नेता प्रतिपक्ष को पांच सौ रुपये प्रतिमास का चिकित्सा भत्ता दिया जायेगा." ;

(ख) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (2) में प्रथम बार आने वाले शब्द "नेता प्रतिपक्ष" के स्थान पर शब्द कोष्ठक और अंक "उप धारा (1) के अधीन देय चिकित्सा भत्ता के अतिरिक्त, नेता प्रतिपक्ष" स्थापित किये जाये.

(ग) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण -- इस धारा में "चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार" से अभिप्रेत है भरती होने पर अन्तर्वासी रोगी के रूप में चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार.";

(घ) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष स्थापित किये जाये, अर्थात्

"नेता प्रतिपक्ष के लिये चिकित्सा भत्ता, चिकित्सीय परिचर्या, तथा उपचार".

(2) वर्ष 1988 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन

(ग) धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात्:-

"7. राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्ही नियमों के अध्यधीन रहते हुए, नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष के कुटुंब के सदस्य, जो उस पर आश्रित हो, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे चिकित्सालयों में स्थान निशुल्क प्राप्त करने के तथा चिकित्सीय परिचर्या और उपचार निशुल्क प्राप्त करने के भी हकदार होंगे."

(2) वर्ष 1989 में क्रमांक 13 द्वारा संशोधन

3. मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) में धारा 7 के मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात् :-	मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक-8 सन् 1980 का संशोधन
"7. नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष के कुटुंब के सदस्य, चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार ऐसे पैमाने तथा ऐसी शर्तों पर नेता प्रतिपक्ष के लिए निशुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा उनके कुटुंबों के सदस्यों को अखिल चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का सं. 61) के अधीन समय-समय पर बनाये गये चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार संबंधी नियमों के अधीन लागू होती है"	नेता प्रतिपक्ष के लिए चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार

धारा 11 का संशोधन

(1) वर्ष 1981 में क्रमांक 21 द्वारा संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय, अर्थात् :-

"11. नेता प्रतिपक्ष, अपनी निजी स्थापना में कर्मचारीवृन्द के लिये उसी सीमा तक हकदार होगा जिस सीमा तक कोई मंत्री, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन हकदार होता है."

धारा 12 का संशोधन

(1) वर्ष 1997 में क्रमांक 38 द्वारा संशोधन

3. मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) की धारा 12 के स्थान पर नई धारा के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए और उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह 1 अप्रैल, 1994 का स्थापन से स्थापित की गई है, अर्थात् :-	धारा 12 के स्थान पर नई धारा का स्थापन
---	---------------------------------------

"12. इस अधिनियम के अधीन नेता प्रतिपक्ष को देय समस्त भत्तों की बाबत और किराए का भुगतान किए बिना भत्ते, परिलब्धियों में से आय-कर सुसज्जित निवास स्थान की उस सुविधा की बावत एवं उन अन्य परिलब्धियों की बावत जो नेता प्रतिपक्ष नहीं लिया जायेगा. को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय है, नेता प्रतिपक्ष से आयकर नहीं लिया जाएगा और यह आय-कर नेता प्रतिपक्ष द्वारा देय अधिकतम दर पर राज्य सरकार द्वारा देय होगा. नेता प्रतिपक्ष को देय होगा. नेता प्रतिपक्ष को देय उक्त भत्तों तथा परिलब्धियों से प्रोदभूत आय की कुल रकम में से समय-समय पर अनुज्ञेय आय-कर से छूट की सीमा की रकम और मानक कटौतियों की रकम, जो भी हो, घटाई नहीं जाएगी."	भत्ते परिलब्धियों में से आयकर नहीं लिया जायेगा.
--	---

नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता अधिनियम (8 of 1980) में आये संशोधनों का सार

(1)	21 of 1981	धारा- 3, 6, 11
(2)	24 of 1983	धारा- 7
(3)	11 of 1987	धारा- 3, 4
(4)	17 of 1988	धारा- 3, 4, 7
(5)	13 of 1989	धारा- 7
(6)	9 of 1993	धारा- 4
(7)	24 of 1997	धारा- 3, 4
(8)	38 of 1997	धारा- 12
(9)	26 of 2001	धारा- 3, 4
(10)	23 of 2008	धारा- 3, 4
(11)	18 of 2010	धारा- 3, 4
(12)	22 of 2010	धारा- 3, 4
(13)	24 of 2012	धारा- 4
(14)	16 of 2016	धारा- 3, 4

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, गंगलवार, दिनांक 28 जनवरी 2025—माघ 8, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2025

क्र. 1558—9—इक्कीस—अ(प्रा).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 जनवरी 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०२५

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०२४

[दिनांक २४ जनवरी, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २८ जनवरी, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०२४ है. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(२) यह १ जुलाई, २०२४ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) की धारा १२ धारा १२ का लोप. का लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2025

क्र. 1558-9-इक्कीस-अ(प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 6 of 2025

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA NETA PRATIPAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2024

[Received the assent of the Governor on the 24th January, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28th January, 2025.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows :—

Short title
and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhiniyam, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force from 1st July, 2024.

Deletion of
Section 12.

2. Section 12 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980) shall be deleted.

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, गंगलवार, दिनांक 28 जनवरी 2025—माघ 8, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2025

क्र. 1558—9—इक्कीस—अ(प्रा).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 जनवरी 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०२५

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०२४

[दिनांक २४ जनवरी, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २८ जनवरी, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०२४ है. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(२) यह १ जुलाई, २०२४ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) की धारा १२ धारा १२ का लोप. का लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2025

क्र. 1558-9-इक्कीस-अ(प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 6 of 2025

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA NETA PRATIPAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2024

[Received the assent of the Governor on the 24th January, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28th January, 2025.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows :—

Short title
and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhiniyam, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force from 1st July, 2024.

Deletion of
Section 12.

2. Section 12 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980) shall be deleted.